

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

18 / 2020
20-2-2020

मदन पुत्र श्री रामकल्याण जाति धाकड़ आयु 55 वर्ष निवासी सोप तहसील उनियारा
जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

1— नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार सोप दिनांक 14-10-2019 अन्तर्गत
धारा 75 एल०आर०एक्ट 1956



- (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन अपीलान्ट
- (2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट


निर्णय

दिनांक 23-12-2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 14-10-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम सोप पर पुख्ता बाउन्ड्री बनाने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 2000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। जिसकी पालना में दिनांक 18-2-2020 को अपीलान्ट को थानाधिकारी सोप द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित करने में गलती की पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है।


जिला कलेक्टर
टोंक



अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि यह खरागाह भूमि नहीं है और इस खसरा नम्बर पर पूरे गाँव का अतिक्रमण है पूरा गाँव इस खसरा नम्बर पर बसा हुआ है इस भूमि पर ओर भी बाड़े मकान आदि बने हुए हैं। अपीलान्ट ने वर्तमान में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने किना सच्चाई की जाँच किये एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के विरुद्ध उक्त दण्डादेश पारित किया है। सजायाव किये जाने से पूर्व विधि अनुसार अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर ना ही अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कोई जानकारी दी गई जिससे निर्णय विधि विरुद्ध है ओर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 2872 रकबा 0.02 हे० भूमि पर पक्की वाउन्ड्री बना कर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं० 63/18 दिनांक 15-11-2018 से बेदखल किया गया था एवं पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट ने न्यायालय में भी शपथ पत्र पेश किया है कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है यदि अपीलान्ट का कब्जा नहीं होता तो वह इस तरह का शपथ पत्र पेश नहीं करता अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट मदन की तामिल नहीं करवाकर किसी अन्य व्यक्ति रामकरण की तामिल करवाई गई है। नोटिस पर तामिल कुनिन्दा द्वारा रिपोर्ट भी अंकित नहीं है कि रामकरण मदन के परिवार का सदस्य है अथवा नहीं, अपीलान्ट की तामिल नियमानुसार नहीं करवाई गई हैं जो उचित नहीं हैं। जिससे सिद्ध है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रेकार्ड का अवलोकन किये त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। उपरोक्त विवेचन से नायब तहसीलदार सोप द्वारा पारित निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14-10-2019 अपारत किया जाता है एवं नायब तहसीलदार सोप को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि समस्त रिकार्ड व मौकें की जांच कर तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23-12-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक